



राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,

कार्यालय परिसर, ब्लाक नं.ए-4, गौतम नगर,

भोपाल - 462 023.

दूरभाष नं. 0755-2583627 / 2583673 फैक्स नं. 2583656

कमाँक / रागाप्रौद्योगिकी / शैक्ष / 20 / 1676
प्रति.

/ भोपाल, दिनांक 13/10/2020

प्राचार्य,

समस्त सह शिक्षा / महिला पोली. / अंशकालीन /
निजी तकनीकी संस्थाएं (पोली.) तथा फार्मसी संस्थाएं
म.प्र.

विषय:- पोली. / फार्मसी महाविद्यालयों के वर्ष 2014-15 में प्रवेशित विद्यार्थियों को अनुकम्पा अवसर प्रदान करने विषयक।

संदर्भ :- विश्वविद्यालय का परिपत्र कमाँक / रागाप्रौद्योगिकी / शैक्ष / 19 / 2209, दिनांक 8.11.19

000

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें।

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल की अधिसूचना कमाँक एफ-5/रागाप्रौद्योगिकी / शैक्षणिक / 2011 / 1569 दिनांक 28.03.2011 के अनुसार विश्वविद्यालय के अधिनियम-12 परीक्षा(सामान्य)में उल्लेखित पैरा कमाँक 24.1.4 में किये गये संशोधन उपरांत अध्यादेश कमाँक 12 "Examination (General)" के पैरा कमाँक 24.1.4 में किये गये संशोधन के अनुसार निर्धारित है :- " A

candidate fails to complete the PG/UG/Diploma course in the maximum duration of the course, as specified in concerned Ordinance, can avail the facility of one mercy attempt, by submitting the application from (as prescribed by University) within one year after the maximum duration of the course (in continuation of the Academic year). The number of subjects should not be more than ten (Five Theory & Five Practicals). All application forms will be scrutinized by a committee consisting of (1) Kulpati (2) Two Executive Council Members- nominated by Kulpati (3) Dean of the concerning faculty & (4) one professor of the concerning subject. The committee will scrutinize the application forms & submit their report to Kulpati. On the recommendation of the Committee, the Kulpati may permit the applicant to avail the one mercy attempt facility. If a candidate fails to complete the PG/UG/Diploma course after availing one mercy attempt, he/she will not be eligible to appear in any university examination in future."

प्रदेश के सहशिक्षा / महिला पोली. / अंशकालीन / निजी तकनीकी संस्थाओं(पोली.) तथा फार्मसी महाविद्यालयों में संचालित पत्रोपाधि पाठ्यक्रमों में वर्ष 2014-15 में प्रवेशित विद्यार्थियों को एक अनुकम्पा अवसर प्रदान करने की गणना निम्नानुसार की जावेगी:-


| प्रवेश वर्ष/ रोल नं. सीरिज | अनुकम्पा अवसर की पात्रता | निर्धारित समयावधि की अंतिम परीक्षा का माह एवं वर्ष तथा एक अनुकम्पा अवसर प्रदान करने का माह एवं वर्ष) | | | | | | |
|---|--|---|-------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------|
| | | द्विवर्षीय | त्रिवर्षीय | चार वर्षीय | अंशकालीन (चार वर्षीय) | फार्मसी (द्विवर्षीय) | A | B |
| | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | | |
| 2014-15 में प्रवेशित विद्यार्थी जिनका रोल नं. चौदह सीरीज से प्रारंभ हैं। | अंतिम परीक्षा का माह विद्यार्थी केवल दर्शित दोनों परीक्षाओं में से किसी एक परीक्षा में अधिकतम 10 विषयों अर्थात् (05 थ्यौरी एवं 05 प्रायोगिक) के साथ बैठकर अनुकम्पा अवसर प्राप्त कर सकता है। | जून,18 | जून,20 | जून,21 | जून,21 | जून,21 | दिस.21 | अगस्त,18 |
| | विद्यार्थी केवल दर्शित दोनों परीक्षाओं में से किसी एक परीक्षा में अधिकतम 10 विषयों अर्थात् (05 थ्यौरी एवं 05 प्रायोगिक) के साथ बैठकर अनुकम्पा अवसर प्राप्त कर सकता है। | दिस.18/ जून,19 | दिस.20/ जून,21 | दिस. 21/ जून,22 | दिस. 21/ जून,22 | जून,22/ दिस.22 | अप्रैल,19/ अगस्त,19 | |

उक्त आशय की सूचना सम्बंधित विद्यार्थियों को देवें तथा महाविद्यालय के सूचना पटल पर विद्यार्थियों के सूचनार्थ चरणा करें।



सचिव

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,



भोपाल

/भोपाल, दिनांक

पृ०क्रमांक / रागांप्रौद्योगिकी / शैक्ष / 20 /

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव माननीय कुलपति महोदया, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी वि.वि., गांधी नगर, भोपाल।
2. संचालक तकनीकी शिक्षा सतपुड़ा भवन भोपाल
3. सभी अधिकारी राजीव गांधी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय डिप्लोमा विंग भोपाल।
4. प्रभारी अधिकारी परीक्षा की ओर इस अनुरोध के साथ अग्रेषित है कि अध्यादेश क्रमांक 12 "Examination (General)" के पैरा क्रमांक 24.1.4 में किये गये संशोधन अनुसार वर्ष 2014-15 में प्रवेशित डिप्लोमा विद्यार्थियों को एक अनुकम्पा अवसर की सुविधा प्रदान करने के सम्बन्ध में निर्धारित की गई प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार की जाकर आगामी कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें।
5. सीईओ, किप्स, श्यामलाहिल्स, भोपाल।
6. अधीक्षक, परीक्षा एवं अनुविभाग के ग्रुप प्रभारी, ग्रुप ए बी सी डी ई तथा एफ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



सचिव

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,

भोपाल



राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,

कार्यालय परिसर, ब्लाक नं.ए-4, गौतम नगर,
भोपाल - 462 023.

दूरभाष नं. 0755-2583627 / 2583673 फैक्स नं. 2583656

क्रमांक / रागाप्रौद्योगिकी / शैक्ष / 20 / 1680
प्रति.

/ भोपाल, दिनांक 13/10/2020

प्राचार्य,

समरत सह शिक्षा / महिला पोली. / अंशकालीन /
निजी तकनीकी संस्थाएं (पोली.) तथा फार्मसी संस्थाएं
म.प्र.

विषय:- पोली0 / फार्मसी महाविद्यालयों के वर्ष 2015-16 में प्रवेशित विद्यार्थियों को अनुकम्पा अवसर प्रदान करने
विषयक्।

संदर्भ :- विश्वविद्यालय का परिपत्र क्रमांक / रागाप्रौद्योगिकी / शैक्ष / 19 / 2209, दिनांक 8.11.19

000

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें।

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-5 / रागाप्रौद्योगिकी /
शैक्षणिक / 2011 / 1569 दिनांक 28.03.2011 के अनुसार विश्वविद्यालय के अधिनियम-12 परीक्षा(सामान्य)में
उल्लेखित पैरा क्रमांक 24.1.4 में किये गये संशोधन उपरात अध्यादेश क्रमांक 12 "Examination
(General)" के पैरा क्रमांक 24.1.4 में किये गये संशोधन के अनुसार निम्नानुसार निर्धारित है :- " A
candidate fails to complete the PG/UG/Diploma course in the maximum duration of the course,
as specified in concerned Ordinance, can avail the facility of one mercy attempt, by submitting
the application from (as prescribed by University) within one year after the maximum duration of
the course (in continuation of the Academic year). The number of subjects should not be
more than ten (Five Theory & Five Practicals). All application forms will be scrutinized by a
committee consisting of (1) Kulpatti (2) Two Executive Council Members- nominated by Kulpatti
(3) Dean of the concerning faculty & (4) one professor of the concerning subject. The
committee will scrutinize the application forms & submit their report to Kulpatti. On the
recommendation of the Committee, the Kulpatti may permit the applicant to avail the one mercy
attempt facility. If a candidate fails to complete the PG/UG/Diploma course after availing one
mercy attempt, he/she will not be eligible to appear in any university examination in future."

प्रदेश के सहशिक्षा / महिला पोली. / अंशकालीन / निजी तकनीकी संस्थाओं (पोली.) तथा फार्मसी
महाविद्यालयों में संचालित पत्रोपाधि पाठ्यक्रमों में वर्ष 2015-16 में प्रवेशित विद्यार्थियों को एक अनुकम्पा अवसर
प्रदान करने की गणना निम्नानुसार की जावेगी:-

| प्रवेश वर्ष/ रोल नं. सीरिज | अनुकम्पा अवसर की पात्रता | निर्धारित समयावधि की अंतिम परीक्षा का माह एवं वर्ष तथा एक अनुकम्पा अवसर प्रदान करने का माह एवं वर्ष) | | | | | | |
|--|--|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| | | द्विवर्षीय | त्रिवर्षीय | चार वर्षीय | अंशकालीन (चार वर्षीय) | | फार्मसी (द्विवर्षीय) | |
| | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
| A | B | 7. | | | | | | |
| 2015-16 में प्रवेशित विद्यार्थी जिनका रोल नं. पन्द्रह सीरीज से प्रारंभ हैं। | अंतिम परीक्षा का माह विद्यार्थी केवल दर्शित दोनों परीक्षाओं में से किसी एक परीक्षा में अधिकतम 10 विषयों अर्थात् (05 थ्यौरी एवं 05 प्रायोगिक) के साथ बैठकर अनुकम्पा अवसर प्राप्त कर सकता है। | जून, 19 विद्यार्थी केवल दर्शित दोनों परीक्षाओं में से किसी एक परीक्षा में अधिकतम 10 विषयों अर्थात् (05 थ्यौरी एवं 05 प्रायोगिक) के साथ बैठकर अनुकम्पा अवसर प्राप्त कर सकता है। | जून, 21 दिस. 19 / जून, 20 | जून, 22 दिस. 21 / जून, 22 | जून, 22 दिस. 22 / जून, 23 | जून, 22 दिस. 22 / जून, 23 | दिस. 22 जून, 23 / दिस. 23 | अगस्त, 19 अप्रैल, 20 / अगरत. 20 |

उक्त आशय की सूचना सम्बंधित विद्यार्थियों को देवें तथा महाविद्यालय के सूचना पटल पर विद्यार्थियों के सूचनार्थ चर्पा करें।



सचिव

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
भोपाल
भोपाल, दिनांक

पृ०कमॉक / रागांप्रौद्योगिकी / शैक्ष / 20 /
प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव माननीय कुलपति महोदया, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी वि.वि. गांधी नगर, भोपाल।
2. संचालक तकनीकी शिक्षा सतपुड़ा भवन भोपाल
3. सभी अधिकारी राजीव गांधी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय डिप्लोमा विंग भोपाल।
4. प्रभारी अधिकारी परीक्षा की ओर इस अनुरोध के साथ अग्रेषित है कि अध्यादेश क्रमांक 12 "Examination (General)" के पैरा क्रमांक 24.1.4 में किये गये संशोधन अनुसार वर्ष 2015-16 में गई प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार की जाकर आगामी कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें।
5. सीईओ, किप्स, श्यामलाहिल्स, भोपाल।
6. अधीक्षक, परीक्षा एवं अनुक्रियाग के गुप्त प्रभारी, गुप्त ए बी सी डी ई तथा एफ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सचिव

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
भोपाल



राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,

कार्यालय परिसर, ब्लाक नं.ए-4, गौतम नगर,

भोपाल - 462 023.

दूरभाष नं. 0755-2583627 / 2583673 फैक्स नं. 2583656

कमॉक / रागाप्रौद्योगिकी / शैक्ष / 20 / 1678
प्रति.

/ भोपाल, दिनांक 13/10/2020

प्राचार्य,

समरत सहै शिक्षा / महिला पोली. / अंशकालीन /
निजी तकनीकी संस्थाएं (पोली.) तथा फार्मरी संस्थाएं
म.प्र.

विषय:- पोली० / फार्मरी महाविद्यालयों के वर्ष 2016-17 में प्रवेशित विद्यार्थियों को अनुकम्पा अवसर प्रदान करने विषयक ।

संदर्भ :- विश्वविद्यालय का परिपत्र कमॉक / रागाप्रौद्योगिकी / शैक्ष / 19 / 2209, दिनांक 8.11.19
000

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें ।

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल की अधिसूचना कमॉक एफ-5 / रागाप्रौद्योगिकी / शैक्षणिक / 2011 / 1569 दिनांक 28.03.2011 के अनुसार विश्वविद्यालय के अधिनियम-12 परीक्षा(सामान्य)में उल्लेखित पैरा कमॉक 24.1.4 में किये गये संशोधन उपरांत अध्यादेश कमांक 12 "Examination (General)" के पैरा कमांक 24.1.4 में किये गये संशोधन के अनुसार निर्धारित है :- " A candidate fails to complete the PG/UG/Diploma course in the maximum duration of the course, as specified in concerned Ordinance, can avail the facility of one mercy attempt, by submitting the application from (as prescribed by University) within one year after the maximum duration of the course (in continuation of the Academic year). The number of subjects should not be more than ten (Five Theory & Five Practicals). All application forms will be scrutinized by a committee consisting of (1) Kulpatti (2) Two Executive Council Members- nominated by Kulpatti (3) Dean of the concerning faculty & (4) one professor of the concerning subject. The committee will scrutinize the application forms & submit their report to Kulpatti. On the recommendation of the Committee, the Kulpatti may permit the applicant to avail the one mercy attempt facility. If a candidate fails to complete the PG/UG/Diploma course after availing one mercy attempt, he/she will not be eligible to appear in any university examination in future."

प्रदेश के सहशिक्षा / महिला पोली. / अंशकालीन / निजी तकनीकी संस्थाओं(पोली.) तथा फार्मरी महाविद्यालयों में संचालित पत्रोपाधि पाठ्यक्रमों में वर्ष 2016-17 में प्रवेशित विद्यार्थियों को एक अनुकम्पा अवसर प्रदान करने की गणना निम्नानुसार की जावेगी:-

| प्रवेश वर्ष / रोल नं. सीरिज | अनुकम्पा अवसर की पात्रता | निर्धारित समयावधि की अंतिम परीक्षा का माह एवं वर्ष तथा एक अनुकम्पा अवसर प्रदान करने का माह एवं वर्ष) | | | | | |
|--|---|--|--------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | द्विवर्षीय | त्रिवर्षीय | चार वर्षीय | अंशकालीन (चार वर्षीय) | फार्मरी (द्विवर्षीय) | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | A | B |
| 2016-17 में प्रवेशित विद्यार्थी जिनका रोल नं. सोलह सीरीज से प्रारंभ हैं । | अंतिम परीक्षा का माह विद्यार्थी केवल दर्शित दोनों परीक्षाओं में से किसी एक परीक्षा में अधिकतम 10 विषयों अर्थात् (05 थ्यौरी एवं 05 प्रायोगिक) के साथ बैठकर अनुकम्पा अवसर प्राप्त कर सकता है । | जून,20 | जून,22 | जून,23 | जून,23 | दिस.23 | अगस्त,20 |
| | | दिस.20 / जून,21 | दिस.22 / जून,23 | दिस. 23 / जून,24 | दिस. 23 / जून,24 | जून,24 / दिस.24 | अप्रैल,21 / अगस्त 21 |

क्रमांक: 2 / - कृपया लगाएं

उक्त आशय की सूचना सम्बंधित विद्यार्थियों को देवें तथा महाविद्यालय के सूचना पटल पर विद्यार्थियों के सूचनार्थ चरणा करें।

सचिव

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,

भोपाल

/ भोपाल, दिनांक

पृ० क्रमांक / रागांप्रौद्योगिकी / शैक्ष / 20 /

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव माननीय कुलपति महोदया, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी वि.वि., गांधी नगर, भोपाल।
2. संचालक तकनीकी शिक्षा सतपुड़ा भवन भोपाल
3. सभी अधिकारी राजीव गांधी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय डिप्लोमा विंग भोपाल।
4. प्रभारी अधिकारी परीक्षा की ओर इस अनुरोध के साथ अग्रेषित है कि अध्यादेश क्रमांक 12 "Examination (General)" के पैरा क्रमांक 24.1.4 में किये गये संशोधन अनुसार वर्ष 2016-17 में प्रवेशित डिप्लोमा विद्यार्थियों को एक अनुकम्पा अवसर की सुविधा प्रदान करने के सम्बन्ध में निर्धारित की गई प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार की जाकर आगामी कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें।
5. सीईओ, किप्स, श्यामलाहिल्स, भोपाल।
6. अधीक्षक, परीक्षा एवं अनुबिभाग के ग्रुप प्रभारी, ग्रुप ए बी सी डी ई तथा एफ। की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सचिव

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,

भोपाल